FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत ––––––अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश संख्या–02–––मुकाम

किशनगढ़

हेमराज ––––बनाम–––– आनंदपुरी हाउसिंग सोसायटी

किस्म मुकदमा –––– दीवानी वाद संख्या 6/2019 (46/2021) ––––––

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
25-02-2026	वकुलाय उभय पक्ष उपस्थित। इस आदेश द्वारा प्रार्थी आनंदपुरी गृह निर्माण सहकारी समिति की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 01 नियम 10 सीपीसी दिनांक 20.01.2024 का निस्तारण किया जा रहा है। उक्त प्रार्थना पत्र बाबत उभय पक्षों की बहस सुनी गई। दौराने बहस अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए यह कथन किया कि प्रतिवादी संख्या 1 आनंदपुरी गृह निर्माण सहकारी समिति लिमिटेड का पंजीकृत पते पर कार्यालय नही होना एंव समिति का रिकॉर्ड उपलब्ध नही होने, काफी समय से बंद होने से समिति के पदाधिकारीयो का निर्वाचन नही हो सका इस वजह से कार्यालय उपरजिस्ट्रार सहकारी समिति अजमेर द्वारा पत्र क्रमांक अवसायन/20/6533–39 दिनांक 22.06.2020 के द्वारा आनंदपुरी गृह निर्माण सहकारी समिति को अवसायन मे लाकर प्रार्थी को राजस्थान सहकारी सोसायटी अधिनियम 2001 की धारा 61 ख के तहत अवसायक नियुक्त किया जिससे प्रार्थी के हित प्रतिवादी संख्या 1 के अन्तर्गत निहित हो गये है। दिनांक 12.06.2023 को समाचार पत्र मे सूचना प्रकाशित करवाकर सूचित किया गया कि आनंदपुरी गृह निर्माण सहकारी समिति अजमेर से संबंधित कोई भी वाद लंबित हो तो इस संबंध मे 15 दिवस मे सूचित करे इसके पश्चात वादी की ओर से उनके अधिवक्ता द्वारा दिनांक 04.09.2023 को एक विधिक नोटिस जरिये डाक प्रेषित की गई जिससे इस प्रकरण के लंबित होने की जानकारी हुई। प्रकरण मे अन्तर्वलित सभी प्रश्नो का निस्तारण करने हेुत प्रकरण मे पक्षकार कायम करना आवश्यक है। प्रार्थी द्वारा इस संबंध मे दस्तावेज प्रस्तुत किये गये है अतः बतौर प्रतिवादी संख्या 4 पक्षकार बनाये जाने का निवेदन किया। उक्त प्रार्थना पत्र का वादी की ओर से जवाब प्रस्तुत किया गया। दौराने बहस अधिवक्ता वादीगण ने कथन किया कि वादी ने यह वाद ग्राम नलू के वादग्रस्त खसरा नंबर 440 की 13 बीघा 16 बीस्वा भूमि के संबधं मे प्रतिवादी संख्या 1 के साथ विक्रय इकरारनामा दिनांक 03.06.2015 निष्पादित किया। वादी को प्रतिवादी संख्या 1 के आचरण व्यवहार मे संदेह होने पर बांदरसिंदरी पुलिस थाना मे आपत्ति पेश की। विक्रय इकरारनामा दिनांक 03.06.2015 व अधिकार पत्र दिनांक 22.08.2015 को निरस्त कराने बाबत् प्रतिवादी संख्या 1 को रजिस्टर्ड सूचना प्रेषित की गई। वादग्रस्त भूमि के संबधं मे विवाद वादी व	

	प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के मध्य है, ऐसी स्थिति मे प्रार्थी संस्था प्रकरण मे आवश्यक पक्षकार नही है ना ही वादग्रस्त भूमि मे किसी प्रकार का हित निहित है अतः वह प्रकरण मे आवश्यक व उचित पक्षकार नही होने से प्रार्थना पत्र खारिज करने का निवेदन किया। न्यायिक दृष्टांत 2013(5)WLC RAJ 694 नरेंद्र कुमार व अन्य बनाम ADJ 7 जयपुर सिटी व अन्य पेश किया। उभयपक्षो को सुना व पत्रावली का अवलोकन किया। संबंधित विधि का अध्ययन व परीशिलन किया। प्रार्थी ने जरिये प्रार्थना पत्र प्रतिवादी संख्या 1 आनंदपुरी हाउसिंग सोसायटी को अवसायन मे लाकर प्रार्थी को अवसायक नियुक्त किया जाकर प्रार्थी के हित प्रतिवादी संख्या 1 मे निहित होने के आधार पर स्वयं प्रकरण मे आवश्यक व उचित पक्षकार होना बताया है। उप रजिस्ट्रार सहकारी समिति अजमेर का आदेश दिनांक 22.06.2020 की प्रति पेश की गई है तथा इस बाबत् दिनांक 12.06.2023 को आम सूचना प्रकाशित करवाकर आनंदपुरी गृह निर्माण सहकारी समिति लिमिटेड अजमेर से संबंधित कोई भी वाद लंबित नही होने की दशा मे सूचना दिये जाने व वादी के द्वारा दिनांक 04.09.2023 को इस संबंध मे एक विधिक नोटिस प्रेषित किये जाने का भी कथन किया है तथा आम सूचना की प्रति पेश की गई है वादी द्वारा हस्तगत वाद प्रति संख्या 1 आनंदपुरी हाउसिंग सोसायटी लिमिटेड जरिये अध्यक्ष द्वारा दबाव डालकर बिना इच्छा के इकरारनामा दिनांक 03.06.2005 का निष्पादन करवाना व प्रतिफल राशि कभी प्राप्त नही होने का कथन कर इकरारनामा को निरस्त करवाने व अधिकार पत्र दिनांक 22.08.2015 को शून्य घोषित करवाने बाबत् प्रस्तुत किया है। प्रार्थी ने अप्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 1 को अवसायन मे लाकर स्वयं को अवसायक नियुक्त किये जाने का कथन कर आदेश पेश किया है अतः प्रार्थी प्रकरण मे आवश्यक पक्षकार होना प्रकट होता है वादी द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत मे वाद संविदा की विशिष्ट पालना का था जबकि हस्तगत वाद विक्रय इकरारनामा मुख्तयारनामा निरस्ती का वाद है जबकि प्रतिवादी संख्या 1 के अवसायन का उल्लेख प्रार्थी ने किया है उक्त न्यायिक दृष्टांत हस्तगत प्रकरण पर चस्पा नही होता अतः ऐसी स्थिति मे उक्त सहकारी समिति प्रकरण मे आवश्यक पक्षकार होना प्रकट होता है अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर उसे बतौर प्रतिवादी संख्या 4 के रूप मे संयोजित किये जाने का आदेश दिया जाता है एतदद्वारा प्रार्थना पत्र निस्तारित किया जाता है। वादी इस संबधं मे संशोधित वादपत्र विधि अनुसार आगामी पेशी पर पेश करे। पत्रावली वास्ते पेश होने संशोधित वादपत्र दिनांक 17.03.2026 को पेश हो।	